



उत्तर मध्य रेलवे

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ

नवाब यूसुफ रोड, बालमीकी चौराहा, इलाहाबाद - 211001

अधिसूचना

सांस्कृतिक कोटा 2019-20 के अंतर्गत खुली भर्ती हेतु अधिसूचना

रोजगार सूचना सं. CQR 2019-20

जारी करने की तिथि: 27/07/2019

दिनांक: 27/07/2019

अंतिम तिथि: 19/08/2019 23.59 बजे तक

1. उत्तर मध्य रेलवे में सांस्कृतिक कोटा वर्ष 2019-20 में खुली भर्ती के तहत 7वे सी.पी.सी. के पे मैट्रिक्स लेबल - 2/3 (ग्रेड पे रु. 1900 / 2000) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक और सांस्कृतिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से नीचे दर्शाये गये विधाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.सं.	विधा	7वे सी.पी.सी. के पे मैट्रिक्स लेबल	पदों की संख्या
1.	शास्त्रीय नर्तक	पे मैट्रिक्स लेबल - 2/3 (ग्रेड पे रु. 1900 / 2000)	01
2.	बांसुरी वादक		01

● उपरोक्त कोटा सभी श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु हैं बशर्ते वे न्यूनतम योग्यता रखते हो।

2. योग्यता:

2.1 आवश्यक:

2.1.1 शैक्षिक योग्यता:

● अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष की शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त वोर्ड द्वारा न्यूनतम 50% अंक सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च योग्यता यानि स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि रखने वाले अभ्यर्थियों पर इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष की शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंक की शर्त लागू नहीं होगी (प्राधिकरण आरबीई संख्या 145 / 2014 दिनांक 17.12.14 और आरबीई संख्या 82 / 1995 दिनांक 01.08.1995)

● टेक्नीकल पदों हेतु— हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई उत्तीर्ण किया हो या हाईस्कूल/एसएसएलसी एवं अप्रेन्टिसशिप का कोर्स पूर्ण किया हो।

2.1.2 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित सांस्कृतिक क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण—पत्र होना चाहिए।

2.2 वांछनीय:

2.2.1 संबंधित क्षेत्र में ऑल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन आदि में दिये प्रस्तुतीकरण का अनुभव।

2.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर जीते गये पुरस्कार।

3.0 आयु: अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार के जन्म 02.01.1990 से पहले और 01.01.2002 के बाद का नहीं होना चाहिए।

3.1 आयु सीमा में छूट:- उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

श्रेणी आयु में छूट की अवधि

अनु.जाति/जन जाति 05 वर्ष

अन्य पिछड़ा वर्ग 03 वर्ष

शारीरिक रूप से विकलांग 10 वर्ष बशर्ते जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी हो वह पद

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए उपयुक्त हो।

सेवारत कर्मचारी क) सेवारत रेलवे कर्मचारियों और आकस्मिक मजदूरों को ऊपरी आयु सीमा में निम्नवत छूट दी जायेगी बशर्ते कि वे 03 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। अनारक्षित उम्मीदवारों को 40 वर्ष तक, अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 43 वर्ष तक एवं अ.जाति/अ.ज.जाति उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक।

ख) इसी प्रकार रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर (अधिकतम 05 वर्ष) छूट प्रदान की जायेगी।

विधवा/तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने ने पुनः विवाह न किया हो को 35 वर्ष, सामान्य वर्ग, 40 वर्ष, अ.जा./अ.ज.जाति एवं 38 वर्ष तक, अ.पि.व. (उक्त के संबंध में विधिक न्यायालय का ओदश आवश्यक है।)

जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी जम्मू कश्मीर के प्रवासी/निवासी जो 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 के बीच जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे थे, को आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

3.2 अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षा को ऊपरी आयु में छूट निम्नवत होगी

श्रेणी	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग—नांन क्रीमीलेयर	अनु. जाति/जन जाति
कोर्स पूर्ण किये गये प्रशिक्षा जो ऐसे पदों हेतु आवेदन कर रहे हो जिसकी न्यूनतम योग्यता आई टी आई/अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण किये हुए प्रशिक्षा ऐसे प्रशिक्षा जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में अप्रेन्टिसशिप एक्ट के अन्तर्गत कोर्स पूर्ण कर लिया हो।	33 वर्ष+प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)	36 वर्ष+प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)	38 वर्ष+प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)

4. भर्ती प्रक्रिया: सांस्कृतिक कोटा के अन्तर्गत योग्य उम्मीदवारों का चयन निम्न प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

(अ) लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा) : 50 अंक

(ब) प्रतिभा का मूल्यांकन सम्बन्धित क्षेत्र में

4.1.1 प्रायोगिक प्रदर्शन के आधार पर : 35 अंक

4.1.2 व्यक्तिगत परीक्षा/पुरस्कार इत्यादि योग : 15 अंक

4.1.2 व्यक्तिगत परीक्षा/पुरस्कार इत्यादि योग : 100 अंक

नोट: लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए आवंटिव अंकों का 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी।

5. भर्ती की शर्तें :

5.1 आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है।

5.2 नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को किसी भी पद पर पदास्थापित करने से पहले, रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

5.3 जिन पदों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित है उन पदों पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी होगी।

5.4 चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 02 वर्ष के अन्तर्गत टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि चयनित उम्मीदवार 02 वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उक्त अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

5.5 केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5.6 आवश्यकता पड़ने पर चयनित उम्मीदवारों को प्रशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों/आयोजनों इत्यादि की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जायेगा और इसके साथ-साथ वे अपने पद के दायित्वों का भी निर्वहन जारी रखेंगे।

5.7 चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार/आवश्यकतानुसार कहीं भी किसी भी पद पर नियुक्ति किया जाएगा।

6. सेवारत उम्मीदवार :

सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्धशासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उम्मीदवारों को, अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

7. परीक्षा शुल्क :

7.1 नीचे पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रु0 500/- शुल्क देना होगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रु0 400/- वापसी किया जाएगा।

7.2 अ0जा0 / अ0ज0जा0 / भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रु0 250/- शुल्क देना होगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रु0 250/- वापसी किया जाएगा।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक आय रु0 50000.00 से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र परिशिष्ट-C के प्रारूप पर अपलोड करना होगा।

7.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जायेगा (पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रु0 250/- वापसी किया जाएगा)। परीक्षा शुल्क केवल अनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा शुल्क के दायरे में आते हैं और परीक्षा शुल्क जमा न किया हो, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

8. आवेदन कैसे करें:

8.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट <http://www.rrcald.org> पर भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम

जायेगी। आनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर एस0एम0एम0 एवं ई-मेल एलटर्ट भेज दिया जायेगा।

नोट III:—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा टेक्निकल खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।

नोट IV:—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की नहीं होगी।

नोट V:—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की नहीं होगी।

नोट VI:—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की नहीं होगी।

8.7 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा—

8.7.1 आयु प्रमाण पत्र।

8.7.2 शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र जैसा कि पैरा 2-1.1 में वर्णित है।

8.7.3 सांस्कृतिक योग्यता का प्रमाण पत्र जैसा कि पैरा 2-1.2 में वर्णित है।

8.7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जिन्हें निकटतम स्टेशन से लिखित परीक्षा/अभियान संस्थान के समय परीक्षा के स्थान तक का निःशुल्क द्वितीय श्रेणी के पास की व्यवस्था चाहते हों, को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र "परिशिष्ट – क प्रारूप पर अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन प्राप्त करते समय अथवा यात्रा करते समय रिजर्वेशन वर्कर्क तथा टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

8.7.5 भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विधवा/न्यायिक तलाक शुदा महिलाएं/अन्य पैरा 3.1 और 3.2 में इंगित के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

8.7.6 सेवारत कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रति अपलोड करनी होगी।

नोट:—उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

9. अस्वीकृत आवेदन पत्रः—

कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारण वश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तीकरण का कारण वेबसाइट पर देखा जा सकता है एवं एस0एम0एम0 द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर भेज दिया जायेगा। जिसकी सूचना पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं दी जायेगी।

9.1 आवेदन पर हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।

9.2 आवेदन बिना कलर फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।

9.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.4 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित सांस्कृतिक योग्यता न धारण करने वाले उम्मीदवार।

9.5 अधिक तथा अल्प आयु वाले उम्मीदवार, जन्मतिथि न भरा होना/गलत भरा होना।

9.6 उम्मीदवार का नाम निर्स्कारित सूची में होना।

9.7 परीक्षा शुल्क जमा न होने पर।

9.8. अधिसूचना की व्याख्या के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाना जाएगा।

9.9 इस रोजगार से उत्पन्न होने वाले कोई भी कानूनी मामले केवल, इलाहाबाद के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें— आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलाया उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वर्णित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चयन में/भर्ती के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

2. परीक्षा भुल्क—

a) पैरा 7.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रु0 500/- शुल्क देना होगा अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को रु0 250/- शुल्क देना होगा।

3. आवेदन कैसे करें— पद के लिए अभ्यर्थी आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट (<http://www.rcald.org>) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण दिशा निर्देश आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद की वेबसाइट पर दिये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश ऊपर पैरा 8 एवं 9 में वर्णित है।

4. आवेदनः— अंतिम तिथि 19.08.2019 को 23.59 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

अभ्यर्थी के बाद ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें। किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश

1. जिस अभ्यर्थी को आवेदन करना हो, वह आर0आर0सी0 की वेबसाइट पर जायें।

2. "ONLINE FORM" इस लिंक पर क्लिक करें।

3. "NEW REGISTRATION" इस लिंक पर क्लिक करें।

4. अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करें।

5. रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश को अपनायें और रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

6. रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करें और पद को चुनें।

7. पूछी गयी सूचनाओं को भरें जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

8. परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के माध्यम (जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि) से जमा करें।

9. अभ्यर्थी अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमैट में 20 Kb से 30 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

10. ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमैट में 10 Kb से 15 Kb का स्कैन करके अपलोड करें।

11. वेबसाइट पर "UPLOAD" लिंक को क्लिक करें और रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करने के उपरांत फाइल/स्कैन फाइल को अपलोड करें।

12. 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर स्व हस्ताक्षरित आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें।

13. 150 DPI तथा 150 KB से 300 KB तक, JPEG format पर स्व हस्ताक्षरित सांस्कृतिक योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करें।

14. निःशुल्क यात्रा सुविधा (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) एवं अन्य देय छूट हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सरकार के अधीन नियुक्त हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 100 KB से 200 KB तक, JPEG format पर स्कैन करें।

15. भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विधवा/न्यायिक तलाक शुदा महिलाएं/अन्य पैरा 3.1 और 3.2 में इंगित के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। 150 DPI तथा 100 KB से 200 KB तक, JPEG format पर स्कैन करें।

16. आवेदन Submit करें। अपने आवेदन की पावती प्रिंट कर लें।

17. अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित करना चाहते हों तो अंतिम तारीख से पूर्व, Final Submit के तीन दिन बाद, जो पहले हो, अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं।

18. ऑनलाइन जमा किया हुआ आवेदन संशोधित करने के लिए वेबसाइट की "ONLINE FORM" लिंक पर क्लिक करें।

19. "Modify Application" लिंक पर क्लिक करें।

परिशिष्ट – A

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पुत्र/ पुत्री श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... निवासी ग्राम/ कस्बा..... जिला/ संभाग..... राज्य/ संघ..... अनुसूचित

जाति/ जनजाति से सम्बंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन), 1956, मुम्बई रिऑर्नाइजेशन एकट 1960, पंजाब रिऑर्नाइजेशन एकट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्नाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश 1962 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964 संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967 संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 संविधान (नागालैंड) अनुस

के संकल्प संख्या के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा उनका परिवार सामान्यतया राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र..... जिला/ मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार ए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993 के काज़ासं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं है।"

दिनांक

मुहर

मुहर

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

* . प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में व्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।
** - समय-समय पर संशोधित।

टिप्पणी:- यहाँ प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वहीं है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।

परिशिष्ट-C

बोर्ड के पत्रांक सं0 ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा-3 के अनुसार

प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रु 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम.....
2. पिता/ पति का नाम.....
3. आयु.....
4. घर का पता.....
5. परिवार की वार्षिक आय.....
(शब्दों एवं अंकों में)
6. निर्गत तिथि.....
7. हस्ताक्षर.....

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

परिशिष्ट-D

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्र. पत्र सं0 तिथि :

अशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु0..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री..... आयु..... लिंग..... पहचान के चिन्ह..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई अशक्तता से ग्रस्त हैं:-

क. प्रमस्तिष्ठीय या गतिविषयक :

- (i) बीएल-दोनों टांगे प्रभावित लेकिन बाजू नहीं
(ii) बीए-दोनों बाजू प्रभावित

(क) इम्पेर्ड रीच

(ख) कमजोर पकड़

- (iii) ओएल-एक टांग प्रभावित (दाई या बाई)
(iv) ओएच-एक बाजू प्रभावित

(क) इम्पेर्ड रीच

(ख) कमजोर पकड़

- (v) बीएच-स्टिफ बैंक एण्ड हिप्स (बैठ या झुक नहीं सकता)
(vi) एमडब्ल्यू-मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सक्षमता ख. दृष्टिहीनता या अल्प दृष्टि :

(ग) एटाक्सिक

- (i) बी-दृष्टिहीन
(ii) पीबी-अद्व दृष्टिहीन

(क) इम्पेर्ड रीच

- ग. * अव्य विकलांगता :-
(i) डी-बहरा
(ii) पीडी-अद्व बहरा

(ख) कमजोर पकड़

- (जो लागू न हो उसे काट दें)
2. स्थिति प्रोग्रेसिव/ नॉन-प्रोग्रेसिव/ सुधार होने योग्य/ सुधार न होने योग्य है, मामले के पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा नहीं की जाती है/ वर्ष माह की अवधि के बाद अनुशंसा की जाती है :

3. उनके मामले में अशक्तता का प्रतिशत है :-
4. श्री/ श्रीमती/ कु0..... उसकी ड्यूटीयों के निष्पादन के लिये अपेक्षित निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं रखते हैं

- (i) एफ-उंगलियों के साथ कार्य कर सकता है हां/ नहीं
(ii) पीपी-धकेलकर तथा खींचकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं

- (iii) एल-लिफटिंग से कार्य कर सकता है हां/ नहीं
(iv) केसी-नीलिंग और काउचिंग से कार्य कर सकता है हां/ नहीं

- (v) बी-बेडिंग से कार्य कर सकता है हां/ नहीं
(vi) एस-बैठकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं

- (vii) एसटी-खड़े होकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं
(viii) डब्ल्यू-चलकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं

- (ix) एसई-देखकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं
(x) एच-सुनकर/ बोलकर कार्य कर सकता है हां/ नहीं

- (xi) आरडब्ल्यू-पढ़कर और लिखकर कार्य कर सकते हैं हां/ नहीं

- (डा0.....) (डा0.....) (डा0.....)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

विकित्सालय अधीक्षक/ सीएमओ/ अस्पताल
प्रमुख द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित (मुहर सहित)